Hindustan Media Ventures Limited

Corporate Office: 5th Floor, Lotus Tower, A- Block,
Community Centre, New Friends Colony,
New Delhi- 110025
Tel.: 011-66561234
E-mail : hmvlinvestor@livehindustan.com
Website: www.hmvl.in
CIN : L21090BR1918PLC000013

18th July, 2025

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051

Scrip Code: 533217

Trading Symbol: HMVL

Sub: Newspaper advertisement- Transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund Authority

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of relevant page of "Mint" (English) and "Hindustan" (Hindi) newspapers dated 18th July, 2025, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Hindustan Media Ventures Limited**

Nikhil Sethi
Digitally signed by Nikhil Sethi
Date: 2025.07.18 12:08:16 +05'30'

(Nikhil Sethi)
Company Secretary

Encl: As above

हिन्दुस्तान

Hindustan Media Ventures Limited
Registered Office: Budh Marg, Patna – 800001,
Ph.: +91 612 222 3434;
Corporate Office: 5th Floor, Lotus Tower, Block – A,
New Friends Colony, New Delhi - 110025
Ph.: +91-11-66561234 **E-mail:** hmvlinvestor@livehindustan.com;
Website: www.hmvl.in
CIN: L21090BR1918PLC000013

NOTICE
(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub: Transfer of unpaid/unclaimed dividend & Equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 (**"Act"**) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (**"IEPF Rules"**), if dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven (7) years or more, the same shall be liable to be transferred by the Company to the IEPF account. Further, in terms of Section 124(6) of the Act and IEPF rules, the Company is also required to transfer the shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven (7) consecutive years or more, to the IEPF Account.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders, on their latest available address, whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the IEPF Rules, for taking appropriate action(s). The list of such shareholders, whose shares are liable for transfer to the IEPF, is placed on the website of the Company i.e. **www.hmvl.in** under 'Investor relations' section.

The concerned shareholders holding shares in physical form, and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for dematerialization, followed by transfer of shares to IEPF Authority as per the IEPF Rules. Upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will automatically stand cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in demat form, the Company will inform the respective Depository by way of corporate action for transfer of shares to IEPF Authority. The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its website viz. **www.hmvl.in** will be considered as, and shall be deemed to be, adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

The concerned shareholders are requested/advised to claim the unpaid/unclaimed dividend amount(s) **on or before October 21, 2025**, failing which the Company shall proceed to transfer the liable dividend and Equity shares to IEPF Authority without any further notice. The concerned shareholders may still claim the dividend and Equity shares from IEPF Authority by submitting an online application in E-Form IEPF-5, available on the website www.iepf.gov.in and following the procedure laid down under the Act and the IEPF Rules.

Kindly note that unpaid/unclaimed dividend for financial years upto 2016-2017 and shares in respect thereof, have already been transferred to IEPF, and the same can be claimed back from IEPF Authority, following the procedure laid down under the said IEPF Rules.

For any queries in respect of the above, shareholders may contact the Company's Registrar and Transfer Agent at KFin Technologies Ltd., **Unit: Hindustan Media Ventures Limited**, Ramky Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500032. Toll Free No.: 1800-309-4001; Email: **einward.ris@kfintech.com;** Website: **www. kfintech.com**.

For **Hindustan Media Ventures Limited**

Date: July 17, 2025
Place: New Delhi

(Nikhil Sethi)
Company Secretary

EASTERN RAILWAY

No.: O-AC-T-73-25-26 (Open), Dated: 16.07.2025. E-Tenders (Open) are invited by Divisional Railway Manager, Eastern Railway, Asansol Division, Station Road, Asansol, Pin-713301 for the following works: **Case No. O-AC-T-73-25-26**, **Name of the Work:** Open tender for Overhauling & Maintenance of electrochlorinator to supply chlorinated water at Ukhra, Kajoragram, Chinpai, Dubrajpur, Pandaveswar and Suri under AEN/2/Andal (for 2 years). **Tender Value:** Rs. 31,03,555.44. **Earnest Money:** Rs. 62,100/-. **Completion period of the work:** 24 months. **Date and Time of Closing:** 11.08.2025 at 12.00 hrs. Complete details can be seen in the Railways Website **www.ireps.gov.in**.

ASN-125/2025-26

Tender Notices are also available at Website www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in

Follow us at: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
MAYURAKSHI CANAL CIRCLE SURI, BIRBHUM
ABRIDGED TENDER NOTICE
eN.I.T. No. WBIW/SE/MCC/DRIP/RFB-02/2025-26

e-Tender is being invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors for 01 (One) no. work under Mayurakshi Canal Circle under DRIP-II. Last date & time of downloading of tender documents is 21.08.2025 up to 14:00 hrs. Other details of tender notice may be seen at website: www.wbiwd.gov.in & https://wbtenders.gov.in Tender ID:- 2025_IWD_878376_1.

Sd/- Superintending Engineer, Mayurakshi Canal Circle, Suri, Birbhum.

ICA- T15012(3)/2025

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi – 110 019
Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, U.P., India
Telephone: +91 11 26436336; Fax: + 91 120 4680330
Website: www.hcltech.com E-mail Id: Investors@hcltech.com

PUBLIC NOTICE
Special Window for Re-lodgement of Transfer requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company has opened a one-time special window for physical shareholders to submit re-lodgement requests for transfer of shares. This special window is open till January 06, 2026 and is applicable to cases which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and the original share transfer(s) were rejected/returned/not attended due to deficiencies in documentation, or were not processed due to any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window.

Eligible shareholders may submit their transfer request(s) along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at M/s MUFG Intime India Private Limited (Unit: HCL Technologies Limited), C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra - 400 083, e-mail: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com within stipulated period.

For **HCL Technologies Limited**

Date: July 17,2025
Place: Noida (U.P.)

Manish Anand
Company Secretary

MADHYA PRADESH JAL NIGAM

(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
8, Arera Hills, Bhopal-462004
Web. : mpjalnigam.mp.gov.in, E-mail : mpjalnigam@mp.gov.in
CIN-U41000MP2012SGC028798
NIT No. 14-15/Proc./SolarMPJNM/2025-26
Bhopal, Dated : 17.07.2025

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

NOTICE INVITING E-TENDER

Madhya Pradesh Jal Nigam (MPJN) intends to engage Developer(s) for Development of Renewable Energy Projects Under Captive Mode for Madhya Pradesh Jal Nigam through e-Reverse Auction method.

NIT No.	Title	Duration	EMD (INR Lakh)	Document Fee (Rs.)
14	100 MW Grid-Connected Ground Mounted Solar PV Project Under Captive Mode	24 months – SCOD 25 Years – O&M	50.00	50,000
15	60 MW Grid-Connected Ground Mounted Wind Power Project Under Captive Mode	24 months – SCOD 25 Years – O&M	50.00	50,000

Interested bidders can view/download/purchase the bid document online from M.P. Government E-Procurement Portal from 24.07.2025, 17:30 Hrs. Bidding process dates mentioned as critical dates on M.P. Government E-Procurement Portal will be applicable. Corrigendum/Addendum in NIT, if any, would be published on portal only and not in newspapers.
M.P. Government E-Procurement Portal - **https://mptenders.gov.in**

M.P. Madhyam/121157/2025 **MANAGING DIRECTOR**

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा–1 (पी–2), ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com

YEIDA FUTURE IS HERE

पत्रांकः वाई.ई.ए. / भूलेख / 434 / 2025 **दिनांकः 17.07.2025**

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर–34 के अन्तर्गत आने वाली भूमि का सुनियोजित विकास हेतु संबंधित कृषकों से आपसी सहमति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या–314 / 77–3–16–163एम, दिनांक 23.02.2026 में तय प्रक्रियानुसार क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय की जाने वाली भूमि की दर हेतु विकल्प निम्नवत् हैः–

(अ) रू० 3808.00 / – प्रतिवर्गमीटर (एक्सग्रेसिया सहित) एवं 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड।

अथवा

(ब) रू० 4300.00 / – प्रतिवर्गमीटर (एक्सग्रेसिया आदि सम्मिलित करते हुए।

दिनांक 04.07.2025 को प्रकाशित विवरण में संशोधन करते हुये क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	सैक्टर	ग्राम का नाम	क्रय हेतु प्रस्तावित खसरा संख्या
1.	34	भुन्ना तगा	47, 54, 55, 56, 57, 87, 90, 92 (आं०), 105, 107, 108, 109, 110, 113, 123, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 215 (आं०), 245 (आं०), 246, 255, 256, 257, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 295, 298, 300 (आं०), 303, 304, 312, 313 (आं०), 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 338, 339, 362, 364, 365, 366, 367, 370, 372, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 457 व 462

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय (सी०आर०सैल) में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्याधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

मंत्रालय पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव पर कर रहा विचार

पीएफ खाते से 10 साल बाद बिना शर्त ज्यादा रकम निकाल सकेंगे

सुविधा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारियों को धनराशि निकासी के मामले में ज्यादा रियायत देने पर विचार कर रही है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ के साथ मिलकर भविष्य निधि (पीएफ) खाते में निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार की मंशा है कि कर्मचारी अपनी जरूरत के समय पर ज्यादा धनराशि पीएफ खाते से निकाल पाएं। इसके लिए 10 वर्ष के अंतराल पर ज्यादा धनराशि निकासी की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

मौजूदा समय में पीएफ खाते से सदस्य को मेडिकल, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, घर में शादी व कुछ अन्य जरूरी कार्यों के लिए धनराशि निकासी की अनुमति है लेकिन उसमें भी तमाम सारी शर्तें हैं, जिनमें तय सीमा तक ही निकासी की जा सकती है।

अब सरकार विचार कर रही है कि कर्मचारी को 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद पीएफ खाते से 60-70 फीसदी तक धनराशि निकासी की अनुमति दी जाए। इससे कर्मचारियों के पास जरूरत पड़ने पर ज्यादा राशि उपलब्ध होगी।

नियम में बदलाव होने के बाद कर्मचारी को अपनी पूरी सेवा के दौरान तीन बार बड़ी धनराशि निकालने की अनुमति मिल सकेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू करता है तो वह 35, 45 और 55 वर्ष की आयु में पीएफ खाते से बड़ी धनराशि निकाल सकेगा। वर्तमान नियमों के तहत पीएफ में जमा धनराशि का बड़ा हिस्सा नौकरी चले जाने के दो महीने बाद या फिर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर ही निकालने की अनुमति होती है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में अंतिम फैसला ईपीएफओ और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच होने वाली गहन चर्चा के बाद होगा।

03 बार सेवा के दौरान भविष्य निधि खाते से रकम निकासी हो सकेगी

60 से 70 फीसदी तक राशि निकासी की अनुमति दी जाएगी 10 वर्ष के बाद

साढ़े सात करोड़ खाताधारकों को होगा लाभ

नए नियमों का ईपीएफओ से जुड़े करीब 7.5 करोड़ सदस्यों को लाभ होगा, जो अपनी जरूरत पर अधिक धनराशि निकाल पाएंगे। हालांकि धनराशि निकासी की स्थिति में उन्हें नुकसान भी होगा। अभी तक तमाम शर्तों के तहत ईपीएफ से धनराशि की निकासी होती है। ऐसे में ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों के खातों में सेवानिवृत्ति के समय बड़ी धनराशि रहती है, जिसका उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद लाभ मिलता है। अब नया नियम आने के बाद अगर सदस्य बड़ी धनराशि को अपने खाते से निकालेंगे तो सेवानिवृत्ति के समय सीमित धनराशि ही खाते में उपलब्ध होगी।

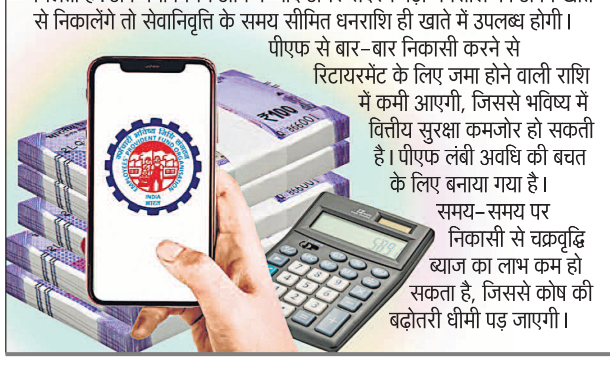

पीएफ से बार-बार निकासी करने से रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली राशि में कमी आएगी, जिससे भविष्य में वित्तीय सुरक्षा कमजोर हो सकती है। पीएफ लंबी अवधि की बचत के लिए बनाया गया है।

समय-समय पर निकासी से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ कम हो सकता है, जिससे कोष की बढ़ोतरी धीमी पड़ जाएगी।

पीएफ खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया

- पोर्टल पर यूएएन और पासवर्ड से **www.epfindia.gov.in/** पर लॉग इन करें।
- केवाईसी यानी आधार, पैन, बैंक विवरण अपडेट और सत्यापित करें।
- सुनिश्चित करें कि आधार, पैन, बैंक विवरण यूएएन से जुड़ा और सत्यापित हो।
- अपनी जरूरत के अनुसार ऑनलाइन सेवा दावा फार्म 31, 19, 10सी और 10डी चुनें।
- इसके बाद निकासी का कारण और राशि भरें (**Form 31** में)
- अप्लाई करें और फिर आपके फोन पर एसएमएस नोटिफिकेशन आ जाएगा।
- आमतौर पर 15-20 कार्यदिवस में राशि बैंक खाते में आ जाती है।

दिसंबर तक 15% बढ़ सकती है सोने की कीमत

नई दिल्ली, एजेंसी। विश्व स्वर्ण परिषद ने कहा है कि तेजी की स्थिति बनी रही तो सोने की कीमतें मौजूदा स्तर से 15 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। उसके मुताबिक इस साल दिसंबर के अंत तक सोना 3,839 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंच सकता है।

इस तरह से सोने का सालाना रिटर्न 40 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। वहीं, गिरावट आती है तो विश्व स्वर्ण परिषद को सोने की कीमतें वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में 12-17 फीसदी गिरने का अनुमान है।

विश्व स्वर्ण परिषद ने कहा है, यदि दुनिया नें आर्थिक और वित्तीय हालात बिगड़ते हैं, मुद्रास्फीति दबाव और तनाव बढ़ता है, तो सुरक्षित निवेश की मांग में वृद्धि हो सकती है जिससे सोने की कीमत 10-15 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

सोना 200 रुपये टूटा, चांदी में भी गिरावट

देशी बाजारों में कमजोर मांग के बीच स्टॉकिस्ट की निरंतर बिकवाली के कारण बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपये की गिरावट के साथ 98,670 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी भी 500 रुपये घटकर 1,10,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

सैटेलाइट स्पैक्ट्रम आवंटन जल्द

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में जल्द ही सैटेलाइट फोन और इंटरनेट सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार सैटेलाइट स्पैक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है।

29 जुलाई को डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन की बैठक होने जा रही है। संभावना है कि बैठक में स्पैक्ट्रम आवंटन को हरी झंडी मिल जाएगी।

लंबे समय से देश में सैटेलाइट फोन और इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने की दिशा में काम हो रहा है। बीते दिनों सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दिया है। उससे पहले वनवेब और रिलायंस जियो-एसईएस को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है।

अब सरकार की तरफ से स्पैक्ट्रम आवंटित किया जाना है, जिसको लेकर मई में ट्राई ने सिफारिशें की थीं। अब डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन की बैठक में ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा। स्पैक्ट्रम आवंटन को मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स			निफ्टी		
82259 -375.24			25111 -100.60		
टॉप गेनर			**टॉप गेनर**		
कंपनी	बंद भाव	बदलाव%	कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
टाटा स्टील	159.85	1.62	टाटा कंज्यू	1103.20	2.01
ट्रेंट	5417.60	0.68	टाटा स्टील	159.97	1.68
टॉप लूजर			**टॉप लूजर**		
टेक महिंद्रा	1563.50	-2.76	टेक महिंद्रा	1564.20	-2.72
इंफोसिस	1582.70	-1.61	इंडसइंड बैंक	863.00	-1.90

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	98,670	-200
चांदी	1,10,500	-500

करेंसी
डॉलर/रुपया
86.12 -0.20

जेएलआर ब्रिटेन में सैकड़ों की छंटनी करेगी

लंदन। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली लक्जरी वाहन कंपनी जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने ब्रिटेन में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के तहत सैकड़ों प्रबंधकीय पदों में कटौती करने की योजना की गुरुवार को पुष्टि की। जेएलआर ने कहा कि यह कदम नेतृत्व वाली भूमिकाओं में कार्यरत श्रमबल को कारोबार की मौजूदा एवं भावी जरूरतों के अनुरूप बनाने के मकसद से उठाया गया है।

बायजू के संस्थापक मुकदमे पर कर रहे विचार

नई दिल्ली। संकट में फंसी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन और दिव्या गोकुलनाथ साख और कारोबार को हुए नुकसान के लिए ग्लास ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ 2.5 अरब डॉलर से अधिक का मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। बयान के अनुसार, रवींद्रन भारत के साथ-साथ विदेशों में भी ग्लास ट्रस्ट और अन्य पर मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं।

ई-कॉमर्स से घरों तक पहुंच रहे तंबाकू उत्पाद

■ सुनीरा टंडन, धीरेंद्र कुमार

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स ऐप अब सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कुछ मिनटों में ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। ये ऐप बिना ब्रांडिंग के सिगरेट दिखाते हैं और ग्राहक से उम्र की पुष्टि (18 साल से ऊपर) खुद से करने को कहते हैं। इससे तंबाकू जैसे विनियमित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर बहस तेज हो गई है।

देश में तंबाकू के विज्ञापन पर रोक है और केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही इसे खरीद सकते हैं। स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचना भी मना है। हालांकि, इन नियमों के बावजूद कई ऑनलाइन मंचों पर सिगरेट की डिलीवरी दी जा रही है। इससे यह चिंता बढ़ रही है कि नाबालिग भी आसानी से तंबाकू उत्पाद मंगा सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि देश में फिलहाल कोई ऐसा साफ कानून नहीं है जो ऑनलाइन तंबाकू बिक्री को स्पष्ट रूप से विनियमित करता हो। गूगल प्ले स्टोर पर तंबाकू बेचने वाली ऐप्स पर बैन है, इसलिए कई क्विक कॉमर्स मंच 'लाइट' ऐप या वेबसाइट का सहारा लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राहक की स्व-घोषणा 'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003' पर लागू नहीं होती।

सरकार ने दी कार्रवाई की चेतावनी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कानून का उल्लंघन पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले भी चेतावनी दी है। वहीं, कानून विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में आधार या सरकारी पहचान पत्र के जरिए ग्राहक की उम्र और स्थान की पुष्टि जरूरी की जा सकती है, ताकि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती लाई जा सके। mint

वायदा उत्पादों की अवधि बढ़ाने पर विचार : सेबी

कोलकाता, एजेंसी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अल्पकालिक वायदा कारोबार में बढ़ती सक्रियता पर गुरुवार को चिंता जताते हुए कहा कि इससे पूंजी बाजार की स्थिरता और संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने यहां उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की तरफ से आयोजित '11वें कैपिटल मार्केट्स कॉन्क्लेव' में इन चिंताओं को जाहिर किया।

नारायण ने कहा, बहुत छोटी अवधि के डेरिवेटिव, खासकर वायदा अनुबंध समाप्ति के दिन वाले सूचकांक विकल्पों की डेरिवेटिव कारोबार में व्यापक हिस्सेदारी है। यह असंतुलन साफ तौर पर अच्छा नहीं है और इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए सेबी नकद शेयर बाजार को व्यापक बनाने के साथ डेरिवेटिव उत्पादों की अवधि और परिपक्वता बढ़ाने के उपायों पर भी विचार कर रहा है।

नारायण ने शोध का हवाला देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वायदा और विकल्प सौदों में कारोबार करने वाले 91 प्रतिशत खुदरा निवेशकों को नुकसान हुआ और उन्होंने कुल एक लाख करोड़ रुपये गंवा दिए।

कीवी इंश्योरेंस पर रोक संभव

नई दिल्ली, एजेंसी। बीमा नियामक इरडा कीवी जनरल इंश्योरेंस को खुदरा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश करने से प्रतिबंधित कर सकता है। इसका कारण साधारण बीमा कंपनी के प्रवर्तक वेस्टब्रिज कैपिटल के पास स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस में भी बहुलांश हिस्सेदारी है।

नियमों के तहत एक प्रवर्तक एक काम करने वाली दो बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं रख सकता। वेस्टब्रिज की कीवी जनरल इंश्योरेंस में 60% और स्टार हेल्थ में लगभग 40% हिस्सेदारी है।